



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 141 -कांवि०नी० एवं विनियम-29/पाकालि/2019-10-काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 08 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में कारपोरेशन आदेश सं० 89-कांवि०नी० एवं विनियम-29/पाकालि/2019-10-काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 04 फरवरी, 2019 को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् आदेशित किया जाता है :-

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 का परिशिष्ट-1(क) की श्रेणी-प-4 (वेतनमान रू० 1200-1800) के बिन्दु-(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक-30 (पदनाम-तकनीशियन ग्रेड-11 (लाईन) वर्तमान में तकनीशियन (लाईन)) में वर्णित तालिका को कारपोरेशन आदेश सं० 89-कांवि०नी० एवं विनियम-29/पाकालि/2019-10-काविनी एवं वे०प्र०/17 दिनांक 04 फरवरी, 2019 के माध्यम से निर्धारित तालिका-01 को तालिका-02 से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

तालिका-01

क्रम सं०	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6
30.	लाईनमैन, टावरमैन	तकनीशियन ग्रेड-2 (लाईन)	(1) मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है :- (क) वायरमैन (ख) इलेक्ट्रीशियन (ग) लाईनमैन (2) कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान (3) Basic skill test *	देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो और श्रेणी प-3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प-2 में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

* सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित कर्मिकों को लाइनमैन के पद के आवश्यक कार्य (यथा-पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाईन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि) किये जाने की अहर्ता को सुनिश्चित किये जाने लिए Basic skill test लिया जाये। Basic skill test को उत्तीर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को 01 वर्ष का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त मूल्यांकन करने के बाद ही लाइनमैन के पद हेतु निर्धारित समस्त आवश्यक कार्यों को सत्यनिष्ठा के साथ सम्पादित किये जाने की घोषणा-पत्र के साथ नियुक्ति दी जाये।

(क्रमशः..... 2)

तालिका-02

क्रम सं०	वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्रोत
		पदनाम	सीधी भर्ती के लिये	पदोन्नति द्वारा	
1	2	3	4	5	6
30.	लाईनमैन, टावरमैन	तकनीशियन ग्रेड-2 (लाईन)	(1) मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (NCVT/SCVT) का होना आवश्यक है :- (क) वायरमैन (ख) इलेक्ट्रीशियन (ग) लाईनमैन (घ) इलेक्ट्रिकल (2) कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान (3) Basic skill test – तकनीशियन (लाईन) के पद के आवश्यक कार्य (यथा-पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाईन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि) से सम्बन्धित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो और श्रेणी प-3 में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प-2 में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव।	10 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा एवं 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन (लाईन) (प्रशिक्षु) के पद पर की जायेगी। नियुक्ति के पश्चात् 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं प्रशिक्षणोपरान्त मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन (लाईन) के पद पर नियमित किया जायेगा। नियमित किये जाने की दशा में प्रशिक्षण की अवधि को भी सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।)

2. विज्ञापित सं० 263-विनियम-23/रा०वि०प०-95-4-विनियम/86 दिनांक 09.08.1995 के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 के विनियम-9 का परिशिष्ट-1(क) की श्रेणी-प-4 (वेतनमान रु० 1200-1800) के बिन्दु-(ख) के अन्तर्गत अन्य संवर्ग के क्रमांक-30 में (टी०जी०-11 (लाईन) वर्तमान में तकनीशियन (लाईन) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता एवं भर्ती का स्रोत) उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक प्रतिस्थापित माना जायेगा एवं अन्य समस्त प्राविधान (संशोधनों सहित) पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि०

सं० 141 -काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

(क्रमशः..... 3)

- 6- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पा०का०लि०/उ०प्र० पा०ट्रां०कारपोरेशन लि०।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
- 15- अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।
- 20- श्री अजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त सचिव (वित्त), कक्ष सं० 517, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र०पा०का०लि० के कार्मिकों हेतु बनायी जा रही नवीन विनियमावलियों में सम्मिलित करने के सन्दर्भ में।
- 21- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(संकेत)

अनु सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)